पत्रांक–7/आ0रो0–30/2002 का० 9846

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

श्री मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव
सभी विभागीय सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 31 मार्च, 2005

विषय : **एक छोटे संवर्ग अर्थात 5 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर।**

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि एक छोटे संवर्ग में जिसमें 10 से कम पद हों, उसमें सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व एक साथ संभव नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने 2 से 9 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय पत्रांक 6770 दिनांक 13.12.2002 द्वारा रोस्टर व्यवस्था के लिए परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुरूप दिशा निर्देश जारी किया गया था।

तत्पश्चात् सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए रोस्टर व्यवस्था क्रमशः 100 विन्दुओं का विभागीय संकल्प संख्या 6329 दिनांक 20.11.03 एवं संकल्प संख्या 2650 दिनांक 19.05.2004 द्वारा संशोधित की जा चुकी है। फलतः विभागीय पत्रांक 6770 दिनांक 13.12.2002 का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

अतः सरकार ने विभागीय पत्रांक **6770** दिनांक **13.12.2002** को **अवक्रमित** करते हुए 2 से 5 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति के संबंध में संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुरूप रोस्टर व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

अनुरोध करना है कि जहां कहीं संवर्ग का कुल पद 6 से कम हो, वहां संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में दर्शायी गयी विधि से रोस्टर संचालित की जाय।

कृपया, आवश्यकतानुसार इस परिपत्र में निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0रो0–30/2002 का० 986 /रांची, दिनांक 31 मार्च, 2005

प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/लोकायुक्त, झारखण्ड, रांची एवं सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(241)

परिशिष्ट–"क"

1. विभागीय संकल्प संख्या–6329 दिनांक 20.11.2003 के आलोक में 100 पदों पर आरक्षण रोस्टर के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु एक छोटे संवर्ग अर्थात् 05 पदों का आदर्श रोस्टर :–

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th
1	UR	ST	UR	OBC	UR	SC
2	ST	UR	OBC	UR	SC	-
3	UR	OBC	UR	SC	-	-
4	OBC	UR	SC	-	-	-
5	UR	SC	-	-	-	-

नोट :–

1. 2 से 5 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तीा में परिशिष्ट 1 से अन्त तक का पठन किया जाए एवं उसके पश्चात क्षैतिज रूप से अंत का पठन "L" की आकृति में किया जाय।
2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तंभ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाए। प्रारंभिक भर्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुर्नस्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा।
3. अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो संदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिंदु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी।

UR – अनारक्षित

ST – अनुसूचित जन जाति

SC – अनुसूचित जाति

OBC – अन्य पिछड़ा वर्ग

परिशिष्ट–"ख"

2. विभागीय संकल्प संख्या–2650 दिनांक 19.05.2004 के आलोक में 100 पदों पर आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रोन्नति हेतु एक छोटे संवर्ग अर्थात् 05 पदों का आदर्श रोस्टर :–

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th
1	UR	ST	UR	UR	UR	SC
2	ST	UR	UR	UR	SC	-
3	UR	UR	UR	SC	-	-
4	UR	UR	SC	-	-	-
5	UR	SC	-	-	-	-

नोट :–

4. 2 से 5 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तीा में परिशिष्ट 1 से अन्त तक का पठन किया जाए एवं उसके पश्चात क्षैतिज रूप से अंत का पठन "L" की आकृति में किया जाय।
5. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तंभ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाए। प्रारंभिक भर्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुर्नस्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा।
6. अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो संदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिंदु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी।

UR – अनारक्षित

ST – अनुसूचित जन जाति

SC – अनुसूचित जाति